

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 148/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्राथी
चमत्कारी बालाजी भद्विर, बालोतरा तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर, राजस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधि घेवरचंद पुत्र श्री तुलछाराम, जाति माली, निवासी जसोल तहसील पंचपदरा, जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पंचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पंचपदरा विप्राथी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 06/10/2022



संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है, जिसमें एक से अधिक सेटलमेंट प्रभाव में आये है, प्रथम सेटलमेंट संवत् 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितीय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि ग्राम बालोतरा पटवार मण्डल बालोतरा में खातेदारी मूल खेत खसरा संख्या 299 था, जो गोविन्दराम बगैरा की खातेदारी में होना अंकित है। मूल खसरा संख्या 299

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विभक्त होकर नये खसरा संख्या 299/1 से 299/4 कायम हुए, खसरा संख्या 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा संख्या 299 के भाग थे, जो आबादी भूमि थी। उक्त भूमि के समीप मूल खसरा संख्या 982 किस्म गैर मुमकिन नदी आयी हुई है, कि प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व कब्जाशुदा मंदिर परिसर मूल खसरा संख्या 299 व 299 के नये बट्टा नम्बर भूमि सीमा के भीतर स्थित है, उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा कब्जाशुदा मंदिर परिसर के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होने के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थी प्रतिनिधि की कब्जाशुदा मंदिर परिसर भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी प्रतिनिधि पट्टाशुदा व कब्जाशुदा मंदिर परिसर के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरुस्त करने व सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के उक्त कब्जाशुदा मंदिर के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकॉर्ड अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

3. विवादित भूमि की मौका व रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई गई।

4. प्रार्थी की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में कस्बा बालोतरा के प्रथम बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, कस्बा बालोतरा के द्वितीय बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति, बेरेवार जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति, जमाबंदी


उपखण्ड अधिकारी
(C.D.O.) बालोतरा

ग्राम बालोतरा खसरा संख्या 299 के बट्टे हुए जा फोटोप्रति, खसरा बंदोबस्त की फोटो प्रति, सुपर इम्पोज नक्शा की फोटो प्रति, खसरा परिवर्तनशील फोटोप्रति, 91 नोटिस की फोटो प्रति, विधुत बिल फोटोप्रति, जुर्माना रसीद फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटोप्रति एवं सरकार का जवाब आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां पेश की गई।

5. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई थी और दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिये थे, कि सम्वत् 2012, वर्ष 1955 के पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात् वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेन्ट हुआ और सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो राजस्व नक्शा तैयार किया गया, उसकी फोटोप्रति-2 संलग्न हैं, सम्वत् 2012 वर्ष 1955 में जब सेटलमेन्ट हुआ उस सेटलमेन्ट के बाद जो जमाबन्दियां कायम की गई, उसके मुताबिक खसरा नंबर 299 व उसके विभक्त होकर नये खसरान नम्बर 299 / 2 , 299 , 299 / 3, 299 / 1, 299 / 4 कायम हुए। जिसमें भूमि किस्म काबिल काश्त होना व गोविन्दराम वगैरा की खातेदारी भूमि होना अंकित हैं, विवरणानुसार भूमि गैर मुमकिन नदी नही थी तथा खातेदारी/बेरा/आबादी/सड़क के रूप में उपयोग ली जा रही थी। खसरा नंबर 299 की उपर वर्णित आबादी भूमि पर प्रार्थी प्रतिनिधि के पूर्वजों/हकपूर्वाधिकारियों के समय से मंदिर परिसर भूमि पर कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी बनी हुई थी। सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट के समय तैयार किये गये खसरा मिलान से स्पष्ट हैं, कि खसरा नंबर 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा नंबर 299 के भाग थे, वह भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा आबादी भूमि में दर्ज नही की गई और यही नही, सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुमकिन नदी की जो स्थिति बताई गई थी, उस गैर मुमकिन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में

नमामें तरीके से हेरफेर कर दिया गया। प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया, उनको देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि पूर्व में खसरा नंबर 299 की भूमि थी, उस भूमि को राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजस्व नक्शा व रेकार्ड बनाने में त्रुटि कारित हुई हैं। कि




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा नंबर 299 व 299 के बट्टे की भूमि जो कि आबादी भूमि थी, उस भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से एवं न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेरफेर नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा राजस्व नक्शा बनाने में जो त्रुटि कारित हुई हैं वह दोनो नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट हैं। राजस्व नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजस्व नक्शों में खसरा नंबर 299/1 व 299/4 की स्थिति को परिवर्तन किया गया है, उससे पूर्व सेटलमेन्ट के प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था और उसके अभाव में सेटलमेन्ट के अधिकारी व कर्मचारी कतई राजस्व नक्शे में जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते थे। कि उपरोक्त सेटलमेन्ट में, सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के ही राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज के स्थान पर नये इन्द्राज कर दिये गये एवं भूमि की किस्म को परिवर्तित कर दिया, जिसका कानूनन उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। सेटलमेन्ट प्रक्रिया में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि-अभिलेख में प्रविष्टियों की निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, यदि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उनका उक्त आदेश/प्रक्रिया बिना अधिकार के होने से अवैध एवं void ab initio हैं, ऐसी अवैधता को किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त पदों का विप्रार्थी की ओर से Evasive Reply

दिया गया है, जो कि विप्रार्थी द्वारा Deemed Admission (स्वीकारोक्ती) की श्रेणी में आता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 के पद संख्या 19 में यह उल्लेखित किया

है, कि खसरा नं 299 की खातेदारी की भूमि 25.17 बीघा थी तथा 1967 में जरीब 132 X 132

की परिवर्तित कर 165 X 165 की गई, तब भी केवल मात्र 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में

दर्ज हुई शेष 6.10 बीघा त्रुटिपूर्ण नदी में दर्ज हो गयी। कि विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.सिविल रिट, संख्या 544/2020 में प्रार्थी के

प्रार्थना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उस जवाब में विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा

यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, कि पूर्व में जब जरीब 132 थी, तो खसरा नं 299



Dam
उपखण्ड अधिकारी
299/1 बालोतरा

एवं उसके विभिन्न बट्टों को कुल रकबा 25.17 बीघा था। कालान्तर में विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी, तो उक्त खसरा संख्या 299 मय बट्टा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था परन्तु खसरा बन्दोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में अंकित की गई शेष 06.10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रक्रिया के प्रार्थी प्रतिनिधि की चमत्कारी बालाजी मंदिर परिसर भूमि को राजस्व नक्शे में नदी का भाग बता दिया। नक्शा में भी नदी की स्थिति को पुराने व नये नक्शे में भिन्नता होना, जिसमें पुराने नक्शे में नदी की स्थिति को नये सेटलमेन्ट के नक्शे में परिवर्तित करना पाया गया है। जबकि मौके पर नदी की स्थिति में प्रार्थी प्रतिनिधि की चमत्कारी बालाजी के मंदिर भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ एवं सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी की कब्जा सुदा चमत्कारी बालाजी मंदिर भूमि को नदी दर्ज किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जा सुदा चमत्कारी बालाजी मंदिर परिसर भूमि के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जावें। अपनी बहस के समर्थन में 1-2022 (2) DNJ (Raj.) 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. 2017 (4) DNJ (Raj.) 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan 3- RRT 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 4. अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर, उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिरवा वगैरा के न्यायिक द्वष्टांत पेश किए गये।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार

पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012

अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड

में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव

क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त

सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस


को जारी रखते हुए आगे कथन किया गया था, कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि जो गैर मुमकिन नदी में होने के उपरांत भी पट्टा जारी करवा दियें। ऐसे पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि विवादित भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन नदी खसरा संख्या 1741/982 भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित मंदिर परिसर गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था, कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर मंदिर परिसर बनाकर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लकड़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है, जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है, अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था, पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश

दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 299 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं




 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किये जाने के कारण प्रार्थी को

आवेदन खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात, विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी प्रतिनिधि की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है, कि गत सेटलमेंट में प्रार्थी प्रतिनिधि की मंदिर परिसर प्रश्नगत आबादी भूमि खसरा संख्या 299 में अवस्थित थी, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय मंदिर परिसर की विवादित भूमि आबादी भूमि में होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से मंदिर परिसर की स्वामित्व कब्जाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए मंदिर परिसर की विवादित भूमि को आबादी खसरा संख्या 299 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लट्ठा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं। यह तो तय है, कि गत सेटलमेंट के अनुसार मंदिर परिसर की प्रश्नगत भूमि आबादी खसरान 299 की सीमा के भीतर आया हुआ था। विवादित भूमि खसरा संख्या 299 आबादी भूमि में अवस्थित थी और द्वितीय सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी प्रतिनिधि की विवादित मंदिर परिसर भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को गत सेटलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2022(2) DNJ (Raj.) पृष्ठ 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. में प्रतिपादित किया है कि Settlement Department has mo right to reduce the area of the land व 2017 (4) DNJ (Raj.) पृष्ठ 1740 Raj. High Court


Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan में प्रतिपादित किया है




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कि व RRT 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 में प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का भू प्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है एवं अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर, उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा वगैरा निर्णय दिनांक 03.12.2012 में भी वर्णित है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकॉर्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हों। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदलें। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि गत सेटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकार्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितीय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकार्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी प्रतिनिधि मंदिर परिसर भूमि में हुए रेकार्ड में फेरबदल गत सेटलमेंट के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है, क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प/14/(28)(1)भू.अ./रा. प्र./ 2018 /5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 299 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित मंदिर परिसर भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितिय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है,जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितिय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.10.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा